

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1839]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त ७, २०१३/श्रावण १६, १९३५

No. 1839]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 7, 2013/SRAVANA 16, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2013

का.आ. 2408(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट खंड, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट विकास तथा खंडों का अनुरक्षण संबंधी कार्य, सीमा संगठन को सौंपती है, अर्थात् :—

सारणी

	खंड	लंबाई (कि.मी. में)
(1)	(2)	(3)
701	बारामूला-रिफयाबाद- कुपवाड़ा-तंगधार	126
	(जम्मू और कश्मीर राज्य)	

[फा. सं. एनएच-14013/16/2013-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2013

S.O. 2408(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the Border Roads Organisation shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch as specified in column (3) of the following Table, of the corresponding section as mentioned in column (2) of the said Table, of the National Highways as described in column (1) thereof.

TABLE

Nationa Highwa No.		Length in kilometers
(1)	(2)	(3)
701	Baramulla-Rafiabad- Kupwara-Tangdhar	126
	(State of Jammu and Kashmir)	

[F. No. NH-14013/16/2013-P& M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

3448 GI/2013 (1)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2013

का.आ. 2409(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनयम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग) विभाग), की अधिसूचना सं. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतदुद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 30 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"31	नई रारा सं. 301 के उतने भाग	जम्मू और
	जो जम्मू और कश्मीर राज्य में	कश्मीर राज्य
	अवस्थित हैं ।	सरकार"

[फा. सं. एनएच-14013/16/2013-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार सं. का.आ. 1961(अ), तारीख 2 जुलाई, 2013 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2013

S.O. 2409(E).—In exercise the of powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the Schedule to said notification, after serial number 30 and the entries relating thereto the following serial number and the entries relating thereto shall be added, namely:—

"31	So much of new National	State
	Highway No. 301 as is situated	Government
	within the State of Jammu and	Jammu and
	Kashmir.	Kashmir".

[F. No. NH-14013/16/2013-P & M] MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published vide number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 1961(E), dated the 2nd July, 2013.